

राजस्व वाद संख्या:-14/2021
गोतम कुमार बनाम उम्मेद वगै0
निर्णय दिनांक:- 02.05.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
श्रीमती सुमन देवी ा (आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी:-

मु0नं0 14/2021


निर्णय दिनांक:- 02.05.2025

गोतम कुमार बनाम उम्मेद वगै0
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 02.05.2025 को श्रीमती सुमन देवी ा उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भुमि मौजा ग्राम पाथडिया तहसील पिलानी की सरहद में स्थित कृषि भुमि खसरा नम्बर 309/196 रकबा 2.71 है0 में पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09.01.2024 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।


(श्रीमती सुमन देवी ा आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

गौतम कुमार बनाम उम्मेद वगै०
मु०नं० 14/2021
दावा बाबत खाता विभाजन

दिनांक - 02.05.2025 को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि भूमि मौजा ग्राम पाथडिया तहसील पिलानी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 309/196 रकबा 2.71 है० में पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09.01.2024 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(सुमन देवी) (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़ सूरजगढ़